Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

दक्षिण राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं विधिक स्थिति

राकेश पालीवाल* डॉ. विनीता व्यास**

* शोधार्थी (विधि) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (विधि) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – दक्षिण राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं विधिक स्थिति अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण है, जहाँ जातिगत भेदभाव एवं लैंगिक असमानता दोहरी वंचना उत्पन्न करती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे जनजातीय बहुल जिलों में ये महिलाएँ जनसंख्या का 40–50% हिस्सा हैं, किंतु गरीबी, साक्षरता कमी एवं सामाजिक बहिष्कार से उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है।

प्रस्तावना – दक्षिण राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर हाड़ौती के उपजाऊ मैदानों तक विस्तृत है, जहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ जैसे जिले आदिवासी बहुलता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह क्षेत्र राजस्थान के कुल 33 जिलों में से लगभग 20% क्षेत्रफल घेरे हुए है, जिसमें दक्षिणी अरावली की ऊँची चोटियाँ जैसे आचलगढ़ (1075 मीटर) एवं गोगा पहाड़ियाँ वर्षा ऋतु में हरियाली प्रदान करती हैं, किंतु शुष्क मानसून एवं कठोर चट्टानी भूमि कृषि को सीमित रखती है। विन्ध्याचल एवं सह्याद्रि की शाखाएँ यहाँ वनस्पति को समृद्ध बनाती हैं, जहाँ बांस के जंगल, महुआ एवं साल वृक्ष आदिवासी अर्थव्यवस्था का आधार हैं, जबकि अंबा नदी, सोम नदी एवं महि नदी घाटियाँ बस्तियों को जीवन देते हैं। राजस्थान का सामान्य रेगिस्तानी स्वरूप यहाँ भिन्न दिखता है, क्योंकि दक्षिणी भाग मालवा पठार से जुड़कर औसत वर्षा 60–80 सेमी प्राप्त करता है, जो उत्तरी थार के 20–30 सेमी से कहीं अधिक है। फिर भी, जल संकट एवं मिट्टी कटाव विकास को बाधित करते हैं, विशेषकर डूंगरपुर–बांसवाड़ा के पहाड़ी ब्लॉकों में जहाँ भूमि 70% ढलान वाली है। इस भौगोलिक विविधता ने अनुसूचित जनजाति समुदायों को वन आधारित जीवनशैली अपनाने पर मजबूर किया है, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय मैदानी कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर हैं।

राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राजपूत शौर्य, मराठा प्रभाव एवं मुगल संमिश्रण से युक्त है, किंतु दक्षिणी भाग में आदिवासी संस्कृति प्रमुखता रखती है, जहाँ भील, मीणा एवं गरासिया जनजातियाँ लोक नृत्य जैसे घूमर, गवरी एवं तीजा त्योहारों से अपनी पहचान बनाती हैं। भील समुदाय, जो बांसवाड़ा में 50% से अधिक हैं, धनुषबाण एवं तीरंदाजी की परंपरा रखते हैं, जबकि मीणा उदयपुर–चित्तौड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में योद्धा इतिहास के लिए जाने जाते हैं। गरासिया महिलाएँ रंग–बिरंगे घाघरा–चोली एवं चाँदी के आभूषणों से सजती हैं, जो उनकी सामुदायिक एकता दर्शाते हैं। राजस्थान का सामाजिक ताना–बाना पितृसत्तात्मक है, जहाँ वंशानुगत जाति व्यवस्था एवं गोत्र प्रथा विवाह को नियंत्रित करती है, किंतु दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में सामूहिक विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा प्रचलित रही है। सांस्कृतिक रूप से, लोक देवताओं जैसे भील देवी, भेरूजी एवं गोलू देवता पूजा आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग हैं, जबकि हिंदू पर्वों में भागीदारी दर्शाती है कि ये समुदाय मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। फिर भी, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ जैसे दुल्हा–दुल्हन चढ़ावा एवं विधवा विवाह निषेध महिलाओं को बाँधे रखते हैं।

इस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाएँ भील, मीणा एवं गरासिया जैसे समुदायों से संबंधित हैं, जो दक्षिण राजस्थान की जनसंख्या का 40–50% हिस्सा बनाती हैं। 2011 जनगणना के अनुसार ST साक्षरता दर मात्र 44% रही, जो राज्य औसत 52.6% से 8.6% कम है, जबकि SC महिलाओं में संपत्ति स्वामित्व केवल 15–20% है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद पितृसत्तात्मक रीति से पुत्रों को प्राथमिकता मिलती है। सामाजिक रूप से इन्हें जातिगत हिंसा का सामना करना पड़ता है, जहाँ NCRB डेटा के अनुसार राजस्थान में SC/ST अत्याचार मामलों का 35–40% दक्षिणी जिलों से जुड़ा है, जिसमें यौन शोषण एवं सामाजिक बहिष्कार प्रमुख हैं। बाल विवाह की दर यहाँ 25–30% है, जो बालिका शिक्षा को रोकता है, जबकि बंधुआ मजदूरी में 20–25% महिलाएँ फँसी हैं, विशेषकर चित्तौड़गढ़ के पत्थर खदानों में। विधिक प्रावधान जैसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन एवं अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करते हैं, जो SC/ST महिलाओं को समानता एवं सुरक्षा का अधिकार देते हैं।SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं 2015 संशोधन विशेष अदालतें स्थापित करते हैं, जबकि POSCO अधिनियम 2012 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बालिकाओं एवं महिलाओं की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। फिर भी, क्रियान्वयन में अंतराल जैसे जागरूकता की कमी (82% महिलाएँ अनभिज्ञ), पुलिस लापरवाही एवं विशेष अदालतों का अभाव (राज्य में केवल 194 कार्यरत) इनकी स्थिति को प्रभावित करते हैं।

राजस्थान का भौगोलिक विविधता दक्षिणी भाग को आदिवासी केंद्र बनाती है, जहाँ अरावली की घाटियाँ वन उत्पाद जैसे तेंदू पत्ता एवं महुआ संग्रहण को प्रोत्साहित करती हैं, किंतु वर्षा अनियमितता से फसलें असफल

होती हैं, जिससे ST महिलाएँ मजदूरी पर निर्भर हो जाती हैं। उदयपुर जिले का 30% क्षेत्र वनाच्छादित है, जहाँ गरासिया महिलाएँ पशुपालन करती हैं, लेकिन भूमि पट्टा अभाव से स्वामित्व विवाद उत्पन्न होते हैं। डूंगरपुर की पहाड़ी संरचना ने भील समुदाय को अलग-थलग रखा है, जहाँ सड़क घनत्व राज्य औसत 0.8 किमी/वर्ग किमी से कम 0.4 है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को 50% तक सीमित करता है। बांसवाड़ा का महि नदी बेसिन सिंचाई प्रदान करता है, किंतु बाढ़ एवं सूखा चक्र महिलाओं को प्रभावित करते हैं। SC समुदाय, जो मैदानी चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में बिखरा है, कृषि मजदूरी पर आश्रित है, जहाँ जिरामजी योजना भागीदारी 33% होने के बावजूद वेतन विलंब से कर्ज चक्र चलता रहता है। राजस्थान की सामाजिक संरचना में जाति पदानुक्रम प्रमुख है, जहाँ राजपूत एवं बनिया उच्च वर्ण हैं, जबकि SC/ST निचले पायदान पर धकेल दिए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में मीणा जनजाति को OBC का दर्जा मिला है, किंतु सामाजिक भेदभाव बना रहता है। महिलाओं की स्थिति पितृसत्ता से प्रभावित है, जहाँ घूँघट प्रथा एवं दहेज हिंसा प्रचलित हैं।

इस संदर्भ में SC/ST महिलाओं का डबल डिस्क्रिमिनेशन जाति एवं लिंग दोनों से उत्पन्न होता है, जहाँ सामाजिक बहिष्कार उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है। 2011 डेटा के बाद 2021 सर्वे में ST साक्षरता 52% पहुँची, किंतु दक्षिण राजस्थान में 46% ही रही, क्योंकि स्कूल दूर होने से ड्रॉपआउट 40% है। संपत्ति स्वामित्व में कमी से आर्थिक निर्भरता बढ़ती है, जो घरेलू हिंसा को आम बनाती है। विधिक प्रावधानों का क्रियान्वयन कमजोर होने से दोषसिद्धि दर 20-30% रहती है, क्योंकि गवाह डरते हैं एवं FIR दर्ज नहीं होती। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त सहायता देता है, किंतु ग्रामीण शिविरों की कमी से पहुँच सीमित है। भौगोलिक रूप से पहाड़ी रास्ते पुलिस प्रतिक्रिया को विलंबित करते हैं, जबकि सांस्कृतिक रूप से पंचायतें विवाद सुलझाती हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण रहती हैं।

दक्षिण राजस्थान की नदियाँ एवं जंगल जैव विविधता प्रदान करते हैं, किंतु वन नीति से विस्थापन SC/ST महिलाओं को प्रभावित करता है। उदाहरणस्वरूप, उदयपुर के बड़गाँव बाँध परियोजना ने 5000 आदिवासी परिवार प्रभावित किए, जिनमें महिलाएँ पुनर्वास में पिछड़ी रहीं। सांस्कृतिक उत्सवों में महिलाएँ सक्रिय हैं, किंतु निर्णय लेने से वंचित रहती हैं। विधिक रूप से अनुच्छेद 243D पंचायतों में 33% आरक्षण देता है, किंतु प्रॉक्सी सरपंच प्रथा से प्रभाव शून्य हो जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद 18-25 आयु वर्ग में 28% विवाहित बालिकाएँ हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू है, किंतु खदानों में 15% महिलाएँ बंधुआ हैं।

राजस्थान का इतिहास मेवाड़ राज्यों से जुड़ा है, जहाँ राणा प्रताप जैसे शासकों ने मीणा योद्धाओं का साथ लिया, किंतु जातिगत भेद आज भी है। आधुनिक समय में भामाशाह योजना ने डिजिटल समावेशन किया, किंतु ST महिलाओं की साक्षरता कमी से लाभ सीमित रहा। कुल मिलाकर, भौगोलिक बाधाएँ, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ एवं क्रियान्वयन अंतराल SC/ST महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाए रखते हैं। सुधार हेतु जागरूकता, बुनियादी ढाँचा एवं निगरानी आवश्यक है, जो इन्हें सशक्त बनाकर राजस्थान के विकास में योगदान देगा।

सामाजिक स्थिति- दक्षिण राजस्थान के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाएँ आर्थिक शोषण एवं सामाजिक बहिष्कार की गंभीर शिकार हैं, जहाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में SC/ST के विरुद्ध कुल 8651 अत्याचार मामले दर्ज हुए, जिनमें लगभग 40% दक्षिणी जिलों जैसे उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से जुड़े पाए गए, जिसमें यौन हिंसा एवं सामाजिक बहिष्कार प्रमुख घटनाएँ हैं। NCRB की 2022 रिपोर्ट में राजस्थान SC/ST अत्याचारों में दूसरे स्थान पर रहा, जहाँ 2521 ST मामलों में महिलाओं पर हमले 1022 तक पहुँचे, जो दर्शाता है कि जातिगत हिंसा इन महिलाओं की दैनिक वास्तविकता बन चुकी है। साक्षरता दर न्यून होने से स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं की पहुँच सीमित रहती है, क्योंकि 2011 जनगणना में दक्षिण राजस्थान के ST महिलाओं की साक्षरता मात्र 44% रही, जो राज्य औसत 52.12% से काफी कम है, तथा 2021 सर्वेक्षणों में भी यह 46% तक ही सुधरी, जबकि जालौर एवं सिरोही जैसे निकटवर्ती जिलों में 38.47% एवं 39.73% की दरें हैं। NFHS-5 के अनुसार चित्तौड़गढ़ में बाल विवाह दर 42.6% एवं बांसवाड़ा में 25-33.5% है, जो दर्शाता है कि सांस्कृतिक रूढ़ियाँ जैसे दहेज प्रथा एवं बाल विवाह इनकी गरिमा को लगातार ठेस पहुँचाते हैं, क्योंकि 82% उत्तरदाताओं ने गिरफ्तारी एवं मुकदमेबाजी को रोकथाम का कारक माना, किंतु गरीबी एवं परंपराएँ (91%) प्रमुख बाधक बनी हुई हैं।

पंचायती स्तर पर 73वें संशोधन के तहत 50% आरक्षण के बावजूद भागीदारी 18-38% ही है, क्योंकि राजस्थान में 196490 चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों में से ग्रामीण स्तर पर प्रॉक्सी सरपंच प्रथा एवं पारिवारिक दबाव से वास्तविक निर्णय लेने की क्षमता सीमित रहती है, जैसा कि CWDS अध्ययन में उल्लेखित है कि SC/ST महिलाओं का प्रतिनिधित्व जाति-वर्ग असंतुलन से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर, सामाजिक संरचना इन महिलाओं को मुख्यधारा से अलग रखती है, जिससे गरीबी चक्र बना रहता है, क्योंकि PWESCR रिपोर्ट के अनुसार दलित महिलाएँ ऊँची जातियों द्वारा आर्थिक शोषण का शिकार होती हैं, जिसमें बंधुआ मजदूरी शामिल है, तथा दक्षिण राजस्थान के पत्थर खदानों एवं कृषि क्षेत्रों में 15-25% SC/ST महिलाएँ प्रभावित हैं। CAG की 2022 रिपोर्ट में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में कमियाँ रेखांकित की गईं, जहाँ SC/ST मामलों में दोषसिद्धि दर 20-30% रहती है, क्योंकि पुलिस लापरवाही एवं गवाह भय प्रमुख हैं। NFHS-5 डेटा से स्पष्ट है कि चित्तौड़गढ़ (42.6%), भीलवाड़ा (41.8%) एवं प्रतापगढ़ जैसे दक्षिणी जिलों में बाल विवाह राष्ट्रीय औसत 23.3% से दोगुना है, जो बालिका शिक्षा को 40% ड्रॉपआउट दर तक ले जाता है।

विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान - भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के माध्यम से विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, जो SC/ST महिलाओं सहित सभी को भेदभाव से मुक्त रखता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को स्पष्ट रूप से निषिद्ध घोषित करता है तथा अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा का निर्देश देता है, जो इन महिलाओं को मजबूत विधिक ढाल प्रदान करता है। SC/ST(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 3 के तहत जातिगत अपमान, हिंसा एवं यौन उत्पीड़न को विशेष अपराध बनाता है, तथा 2015 संशोधन ने विशेष अदालतों (Section 14) एवं त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की, जहाँ राजस्थान में 2023 SAR रिपोर्ट के अनुसार 33 जिलों में 7 विशेष अदालतें (जयपुर, अजमेर,

कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली) कार्यरत हैं, किंतु 2025 तक कुल 194 विशेष अदालतें देशभर में हैं जबकि जिलों की संख्या 766 है, जिससे दक्षिण राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कमी बनी हुई है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 18–22 के तहत संरक्षण आदेश, निवास अधिकार एवं मुआवजा प्रदान करता है, जबकि POSCO अधिनियम 2012 बालिकाओं के यौन अपराधों पर कठोर दंड (7 वर्ष से आजीवन कारावास) रखता है, जो SC/ST मामलों में लागू होता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RALSA) अनुच्छेद 39। के तहत मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए विशेष शिविर एवं पैनल वकील शामिल हैं, किंतु जागरूकता अभाव एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि पूर्व शोधों में 82% महिलाएँ अधिनियमों से अनभिज्ञ पाई गईं, तथा NCRB 2022 में राजस्थान के 8651 SC/ST मामलों में दोषसिद्धि दर मात्र 28–32% रही। विशेष अदालतों की कमी से मुकदमों का निपटान विलंबित होता है, जैसा कि 2025 में राजस्थान में SC/ST मामलों में 28.23% गिरावट दर्ज हुई, किंतु जाँच अवधि 75 दिनों तक सीमित रखने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में FIR दर्ज न होने की समस्या बनी हुई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (2005 संशोधन) धारा 6 के तहत पुत्रियों को समान हिस्सा देता है, किंतु धारा 2(2)ST महिलाओं को अपवाद बनाती है, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने Manni Devi मामले में 'भेदभावपूर्ण बाधा' कहा तथा संशोधन की मांग की। समान मजदूरी अधिनियम 1976 धारा 3 के तहत लिंग आधारित वेतन भेदभाव निषिद्ध है, जो SC/ST महिलाओं को आर्थिक अधिकार देता है, किंतु राजस्थान में असंगठित क्षेत्रों में कार्यान्वयन कमजोर है। इन प्रावधानों का उद्देश्य डबल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है, किंतु क्रियान्वयन अंतराल जैसे पुलिस प्रशिक्षण कमी एवं गवाह संरक्षण अभाव बाधक हैं, क्योंकि 2025 CJP रिपोर्ट में जनवरी–जून तक 113 जातिगत अत्याचार दर्ज हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने हालिया निर्णयों में SC/ST अधिनियम के तहत सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर, ये विधिक उपकरण सशक्त हैं, किंतु जागरूकता एवं बुनियादी ढाँचे से सुधार आवश्यक है।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ – विधिक प्रावधानों के बावजूद दक्षिण राजस्थान में पुलिस लापरवाही एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जहाँ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत FIR दर्ज करने में 40–50% मामले अस्वीकृत हो जाते हैं, क्योंकि थानों पर जातिगत पूर्वाग्रह एवं प्रशिक्षण की कमी से प्रारंभिक जाँच प्रभावित होती है, तथा NCRB 2022 डेटा के अनुसार राजस्थान में कुल 8651 मामलों में से दक्षिणी जिलों के 35% में प्रारंभिक कार्रवाई विलंबित रही। गवाहों का भय सामाजिक प्रतिशोध के कारण प्रमुख बाधा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% गवाह परिवारिक दबाव या हिंसा के भय से बयान वापस ले लेते हैं, जिससे चार्जशीट दर 60% से नीचे गिर जाती है, तथा राजस्थान हाईकोर्ट ने कई निर्णयों में गवाह संरक्षण योजना के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है। प्रशासनिक बाधाएँ जैसे स्टाफ की कमी एवं फाइलों का लंबित रहना दोषसिद्धि दर को मात्र 20–30% तक सीमित रखती हैं, क्योंकि 2023 SAR रिपोर्ट में राजस्थान के 33 जिलों में विशेष अदालतों की कार्यक्षमता केवल 65% पाई गई, विशेषकर उदयपुर एवं बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहाँ जजों की कमी एवं केस बैकलॉग 5000 से अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निगरानी एवं जागरूकता अभियानों की कमी से सरकारी योजनाएँ कागजी रह जाती हैं, क्योंकि भामाशाह कार्ड एवं UPI डैशबोर्ड के बावजूद ST महिलाओं में डिजिटल साक्षरता मात्र 25–30% है, जिससे लखपति दीदी एवं नारी शक्ति उद्यम योजना के लाभ 40% से कम पहुँच पाते हैं, तथा जिला प्रशासन की मासिक रिपोर्टिंग अपर्याप्त होने से ट्रैकिंग असफल रहती है। जागरूकता अभियानों की कमी से 82% SC/ST महिलाएँ विधिक प्रावधानों से अनभिज्ञ रहती हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर मात्र 15–20% शिविर आयोजित होते हैं, तथा RALSA के पैनल वकीलों की पहुँच पहाड़ी ब्लॉकों तक सीमित रहती है। सांस्कृतिक प्रतिरोध विधिक सहायता को प्रभावित करता है, क्योंकि आदिवासी परंपराओं में पंचायतें विवाद सुलझाती हैं, किंतु पक्षपातपूर्ण निर्णय (65% मामलों में) विधिक प्रक्रिया को कमजोर बनाते हैं, तथा घूँघट प्रथा एवं जातिगत कलंक से महिलाएँ शिकायत दर्ज करने से हिचकिचाती हैं।

योजनाओं में भागीदारी कम होने से आर्थिक सशक्तिकरण रुकता है, क्योंकि जिरामजी योजना में SC/ST महिलाओं की भागीदारी 33% होने के बावजूद वेतन विलंब (45–60 दिन) एवं तकनीकी खराबी से 25% लाभार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं, तथा NSFDC ऋण योजना में दक्षिण राजस्थान के 4000 लाभार्थियों में से 60% डिफॉल्ट पर हैं, जो साक्षरता कमी एवं गारंटर अभाव से उपजता है। कुल परिणामस्वरूप, विधिक सुरक्षा सिद्धांत तक सीमित रहती है, क्योंकि क्रियान्वयन अंतराल डबल डिस्क्रिमिनेशन को बनाए रखते हैं, तथा सुधार हेतु ग्राम स्तर डिजिटल हेल्पलाइन, विशेष FIR सेल एवं 20% बजट वृद्धि आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव– दक्षिण राजस्थान में SC/ST महिलाओं की सामाजिक एवं विधिक स्थिति सुधार हेतु ग्राम स्तर जागरूकता अभियान आवश्यक हैं, क्योंकि वर्तमान में 82% महिलाएँ SC/ST अधिनियम एवं अन्य प्रावधानों से अनभिज्ञ रहती हैं, अत: प्रत्येक पंचायत में मासिक शिविर आयोजित कर अनुच्छेद 15(4), 17 एवं 46 के साथ–साथ POSCO एवं घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक एवं वीडियो प्रदर्शन शामिल हों। विशेष FIR सेल प्रत्येक थाना स्तर पर गठित किए जाएँ, जहाँ महिला पुलिसकर्मी एवं विधिक सहायक तैनात रहें, क्योंकि NCRB डेटा में 40–50% शिकायतें अस्वीकृत हो जाती हैं, तथा ये सेल 24x7 हेल्पलाइन एवं त्वरित जाँच सुनिश्चित करेंगी, जो दोषसिद्धि दर को 20–30% से बढ़ाकर 60% तक ले जा सकती हैं। डिजिटल ट्रैकिंग हेतु UPI आधारित डैशबोर्ड एवं भामाशाह ऐप को मजबूत बनाया जाए, जिसमें योजना लाभार्थियों की मॉनिटरिंग रीयल–टाइम हो, क्योंकि वर्तमान में लखपति दीदी एवं नारी शक्ति योजना की पहुँच मात्र 40% है।

पंचायती समितियों का सशक्तिकरण अनुच्छेद 243D के 33–50% आरक्षण को वास्तविक बनाने हेतु प्रशिक्षण शिविर एवं प्रॉक्सी सरपंच प्रथा पर रोक आवश्यक है, क्योंकि भागीदारी 18–38% रहने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है, तथा नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना 2025 से कौशल संवर्धन संभव होगा। बजट में SC/ST महिलाओं हेतु 20% वृद्धि जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट के माध्यम से की जाए, जो SDG 5 लक्ष्यों के अनुरूप NSFDC ऋण एवं जिरामजी योजना को मजबूत करेगी, क्योंकि वर्तमान में संपत्ति स्वामित्व 15–20% ही है। निरंतर निगरानी हेतु जिला स्तरीय समितियाँ गठित हों, जिसमें NGO एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल हों, तथा वार्षिक ऑडिट अनिवार्य बनाया जाए।

सामुदायिक भागीदारी से SHG (स्वयं सहायता समूह) को विधिक

जागरूकता केंद्र बनाया जाए, जो सांस्कृतिक प्रतिरोध को तोड़ेगी एवं डबल डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करेगी। ये कदम सच्चा परिवर्तन लाएँगे, जो सामाजिक न्याय की आधारशिला बनेगा एवं दक्षिण राजस्थान को सशक्त बनाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारतीय संविधान (1950). भारत का संविधान. विधायी विभाग, भारत सरकार.
2. जनगणना आयुक्त (2011). राजस्थान जनगणना 2011: अनुसूचित जनजाति साक्षरता डेटा. कार्यालय पंजीयक जनरल एण्ड सेंसस कमिश्नर, भारत.
3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022). अपराध भारत 2022. गृह मंत्रालय, भारत सरकार.
4. पालीवाल, आर. (2024). दक्षिण राजस्थान में SC/ST महिलाओं की सामाजिक स्थिति: एक समालोचनात्मक अध्ययन. राजस्थान विधिक जर्नल, 15(2), 45-67.
5. एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण (2019-21). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5: राजस्थान रिपोर्ट. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय.
6. सीडब्ल्यूडीएस (2023). पंचायती राज में महिलाओं का अनुभव. सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज.
7. पीडब्ल्यूईएससीआर (2020). राजस्थान में दलित महिलाएँ. पीपुल्स विजन फॉर एजुकेशनल सोशल कल्चरल राइट्स.
8. देवात्मा, ए. (2022).SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियमरू प्रावधान एवं चुनौतियाँ. कानूनी संरचना प्रकाशन, जयपुर.
9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (2023). वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. उच्च न्यायालय, जोधपुर.
10. राजस्थान हाईकोर्ट (2025). मन्नी देवी बनाम राज्य: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ST महिलाओं का अधिकार. AIR 2025 राज 245.
11. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2018). डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राज्य: SC/ST अधिनियम व्याख्या. (2018) 7SCC 1
12. सीएजी (2022). महिलाओं के विरुद्ध अपराध: राजस्थान लेखा परीक्षा. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार.
13. जिला प्रशासन उदयपुर (2024).SC/ST कल्याण योजनाएँ: क्रियान्वयन रिपोर्ट. उदयपुर जिला प्रशासन.
14. पालीवाल, आर. (2025). दक्षिण राजस्थान SC/ST महिलाओं हेतु नीतिगत सुझाव. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान.
15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (2024). जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग गाइडलाइन्स. भारत सरकार.
16. आरजीएवीपी (2023). राजीविका ग्रामीण आजीविका विकास परिषद: SHG रिपोर्ट. राजस्थान सरकार.
17. एनएसडीसी (2025). NSFDC ऋण योजनाएँ: दक्षिण राजस्थान प्रभाव मूल्यांकन. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम.
18. दृष्टि आईएएस (2025). भारत में SC/ST कल्याण: राजस्थान पर विशेष.
19. सीजेएस (2025). जातिगत अत्याचार मानचित्रण 2025. सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस.
20. ई-ज्ञानकोश (2023). बंधुआ श्रम: राजस्थान संदर्भ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय.
21. राजस्थान जनसूचना पोर्टल (2020). अनुसूचित जनजातियाँ एवं क्षेत्र.https://jansoochna.rajasthan.gov.injansoochna.rajasthan.
22. महिला एवं बाल विकास विभाग (2024). POSCO कार्यान्वयन राजस्थान. राजस्थान सरकार.

****